2025/178

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट — बनाम — **अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट**

श्रीमती दुर्गादेवी पत्नि स्व. श्री जीवाराम
निवासी झाडौली
तहसील पिण्डवाडा
जिला सिरोही।

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
प्रमुख चिकित्सा अधिकारी
जिला अस्पताल सिरोही

किस्म मुकदमा— अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005 मुकदमा नं. 31 वर्ष 2025

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
30.06.2025	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी प्रमुख चिकित्सा अधिकारी जिला अस्पताल सिरोही को दिनांक 29.04.2025 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि अपीलांट दिनांक 05.03.2025, 06.03.2025 एवं 07.03.2025 को गठित सिलिकोसिस जिला चिकित्सा मेडीकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित रही थी और अपीलांट की अपील संख्या 23052912763795, जन आधार संख्या 4882514675 एवं सम्पर्क नम्बर 9950090166 है। अपीलांट को उक्त गठित सिलिकोसिस जिला चिकित्सा मेडीकल बोर्ड द्वारा की गई पीडितों की जांच की सूची व उक्त मेडीकल बोर्ड के आदेश की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10/— जमा करा दिए है। अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी प्रमुख चिकित्सा अधिकारी जिला अस्पताल सिरोही को दिनांक 29.04.2025 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि अपीलांट दिनांक 05.03.2025, 06.03.2025 एवं 07.03.2025 को गठिंत सिलिकोसिस जिला चिकित्सा मेडीकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित रही थी और अपीलांट की अपील संख्या 23052912763795, जन आधार संख्या 4882514675 एवं सम्पर्क नम्बर 9950090166 है। अपीलांट को उक्त गठित सिलिकोसिस जिला चिकित्सा मेडीकल बोर्ड द्वारा की गई पीडितों की जांच की सूची व उक्त मेडीकल बोर्ड के आदेश की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा मांगी गई उपरोक्त सूचना लोक सूचना अधिकारी प्रमुख चिकित्सा अधिकारी जिला अस्पताल सिरोही से सम्बन्धित है। चूंकि लोक सूचना अधिकारी प्रमुख चिकित्सा अधिकारी जिला अस्पताल सिरोही के प्रथम अपील अधिकारी जिला कलक्टर, सिरोही नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। निर्णय सर–ए–इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (अल्पा चौधरी) **जिला कलक्टर, सिरोही**	

Scanned with CamScanner